

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2018/डी-567

दिनांक:- 02/4/2018

मैसर्स आशीष इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स एलएलपी,
जरिये पार्टनर,
श्री आशीष कुमार,
ऑफिस नम्बर 13-23, 38-43,
पंचम फ्लोर, सन्नी मार्ट, न्यू आतिश मार्केट,
गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।

विषय:- खसरा नम्बर 210, 211, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2017 के संदर्भ में जो प्रस्ताव खसरा नम्बर 210, 211, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित भूखण्ड (8386.78 वर्गमीटर) पर 36.50 मीटर ऊँचाई (भूतल + 11 तल) के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 200वीं बैठक दिनांक 03.01.2018 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा सितम्बर-2021 (मुख्यमंत्री जन आवास योजना की सामान्य शर्त संख्या 4 (A) के अनुसार) तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-08 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन 08 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 से संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे।

15. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए प्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
16. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
17. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
18. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाए।
19. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
20. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
21. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
23. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
24. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
25. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
26. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा पर्यावरण अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना अपने स्तर पर सुनिश्चित की जावे तथा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
27. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (11 मानचित्र)

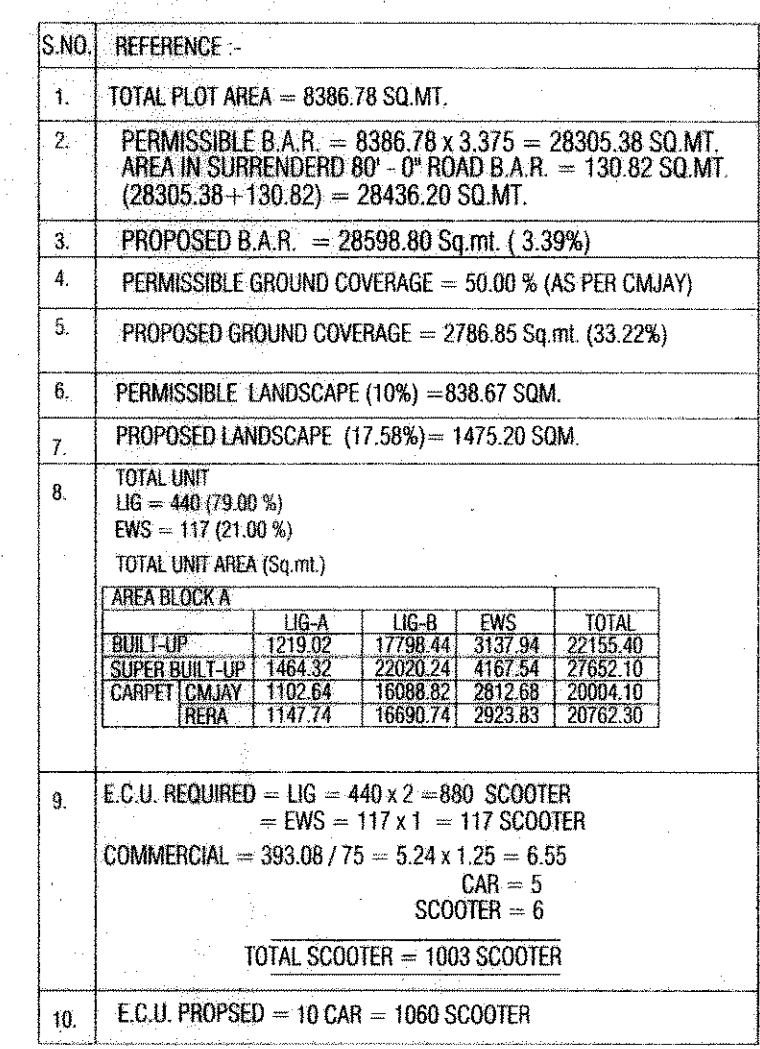
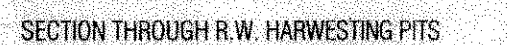
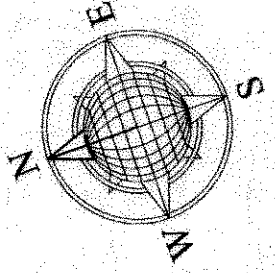
 भवदीय
02/4/18

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन-08, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन-08, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. सहायक नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जयपुरा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



EWS TABLE BLOCK-A (Ground,1st to 9th Floor)									
COMMON AREA CORRIDOR-STAIR-LIFT NO. OF UNITS/A1									
BALCONY AREA									
FLOOR	EWS	BI	BI-1	BI-2	BI-3	BI-4	BI-5	BI-6	BI-7
1st Floor To 9th Floor	7.15	1	1.65	2.62	3.52	24.04	24.04	24.04	24.04
	7.15	1	1.65	2.62	3.52	24.04	24.04	24.04	24.04
	7.15	3	1.65	2.62	3.52	24.04	24.04	24.04	24.04
	7.15	4	1.65	2.62	3.52	24.04	24.04	24.04	24.04
	7.15	5	1.65	2.62	3.52	24.04	24.04	24.04	24.04
	7.15	6	1.65	2.62	3.52	24.04	24.04	24.04	24.04
	7.15	7	1.65	2.62	3.52	24.04	24.04	24.04	24.04
	7.15	8	1.65	2.62	3.52	24.04	24.04	24.04	24.04
	7.15	9	1.65	2.62	3.52	24.04	24.04	24.04	24.04
	7.15	10	1.65	2.62	3.52	24.04	24.04	24.04	24.04
UNIT									
	LOCAL	COMMON	TYPICAL	FLOORS	TOTAL				
	26.62	26.62			1137.94				
	BI-1	BI-2	BI-3	BI-4	BI-5				
	BI-6	BI-7	BI-8	BI-9	BI-10				
	BI-11	BI-12	BI-13	BI-14	BI-15				
	BI-16	BI-17	BI-18	BI-19	BI-20				
	BI-21	BI-22	BI-23	BI-24	BI-25				
	BI-26	BI-27	BI-28	BI-29	BI-30				
	BI-31	BI-32	BI-33	BI-34	BI-35				
	BI-36	BI-37	BI-38	BI-39	BI-40				
	BI-41	BI-42	BI-43	BI-44	BI-45				
	BI-46	BI-47	BI-48	BI-49	BI-50				
	BI-51	BI-52	BI-53	BI-54	BI-55				
	BI-56	BI-57	BI-58	BI-59	BI-60				
	BI-61	BI-62	BI-63	BI-64	BI-65				
	BI-66	BI-67	BI-68	BI-69	BI-70				
	BI-71	BI-72	BI-73	BI-74	BI-75				
	BI-76	BI-77	BI-78	BI-79	BI-80				
	BI-81	BI-82	BI-83	BI-84	BI-85				
	BI-86	BI-87	BI-88	BI-89	BI-90				
	BI-91								

LIG-A & TABLE BLOCK-A (Ground, 1st to 11th FLOOR)									
COMMON AREA CORRELATION START-1700 (ENTRANCE)									
BALCONY AREA CORRELATION (ENTRANCE 201-1700)									
FLOOR	AT	LG-08	B1	HULT-17 (HULT-17A+17B)	SHIPPERS-17 (HULT-17A+17B+17C)	CARPET AREA (Sqm.)	CEILING	RSIA	
8TH	7.1	1.32	42.58	52.68	36.49	36.49	36.49	36.49	
8TH	7.2	1.32	42.58	52.68	36.49	36.49	36.49	36.49	
8TH	7.3	1.32	42.58	52.68	36.49	36.49	36.49	36.49	
8TH	7.4	1.32	42.58	52.68	36.49	36.49	36.49	36.49	
8TH	7.5	1.32	42.58	52.68	36.49	36.49	36.49	36.49	
8TH	7.6	1.32	42.58	52.68	36.49	36.49	36.49	36.49	
8TH	7.7	1.32	42.58	52.68	36.49	36.49	36.49	36.49	
8TH	7.8	1.32	42.58	52.68	36.49	36.49	36.49	36.49	
8TH	7.9	1.32	42.58	52.68	36.49	36.49	36.49	36.49	
8TH	7.10	1.32	42.58	52.68	36.49	36.49	36.49	36.49	

[illegible]

6.78	30	1.32	42.58	52.68	38.88	39.93
6.78	31	1.32	42.56	52.68	38.88	39.93
6.78	32	1.32	42.58	52.68	38.88	39.93
6.78	33	1.32	42.58	52.68	38.88	39.93
6.78	34	1.32	42.58	52.68	38.88	39.93
6.78	35	1.32	42.58	52.68	38.88	39.93
6.78	36	1.32	42.58	52.68	38.88	39.93
6.78	37	1.32	42.58	52.68	38.88	39.93
6.78	38	1.32	42.58	52.68	38.88	39.93

		UNIT			
AREA	LOG-B	GROUND	TYPICAL	FLOORS	TOTAL
BUILDUP	55.41				1219.02
SUPER BUILDUP	66.56				1464.12
CARPET	CMJAY	90.12		11	1102.64
	CMRA	52.17			1147.74
TOTAL UNIT			22		

024/18
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
श्वन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

024/18
अतिरिक्त मुख्य सार निदेशक
श्वन मानविकी समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHRI KRISHNAN
ARCHITECT
CA/99/2545-1

SCALE = 1:100

OWNER

ARCHITECT -  **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

KHASRA NO - 207

243'-9"
[74.29]

6.63

6.63

6.63

6.63

9.61

13.72

32.45

48.88

ROAD 60'-0" WIDE

327'-6"
[99.82]

6.63

15.24

127'-6"
[38.88]

ROAD 80'-0" WIDE

5.50
ENT-EXIT GATE

1ST FLOOR PLAN (BLOCK-A)

TYPICAL 1ST TO 9TH FLOOR PLAN (BLOCK-B)

9.51

37.22

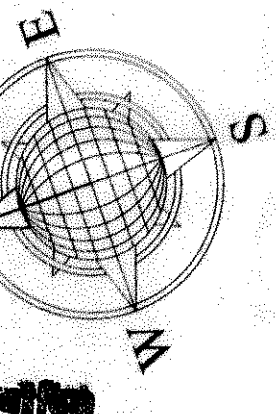
6.63

15.24

141'-6"
[43.15]

KHASRA NO - 211

498'-3"
[151.83]



सर्वेक्षण क्रमांक: 52/4/1/18
प्लॉट क्रमांक: 527
प्लॉट क्षेत्रफल: 1.16 हे.मि.
प्लॉट मालक: श्री. वि. वि. वि.

सर्वेक्षण क्रमांक: 52/4/1/18
प्लॉट क्रमांक: 527
प्लॉट क्षेत्रफल: 1.16 हे.मि.
प्लॉट मालक: श्री. वि. वि. वि.

सर्वेक्षण क्रमांक: 52/4/1/18
प्लॉट क्रमांक: 527
प्लॉट क्षेत्रफल: 1.16 हे.मि.
प्लॉट मालक: श्री. वि. वि. वि.

सर्वेक्षण क्रमांक: 52/4/1/18
प्लॉट क्रमांक: 527
प्लॉट क्षेत्रफल: 1.16 हे.मि.
प्लॉट मालक: श्री. वि. वि. वि.

सर्वेक्षण क्रमांक: 52/4/1/18
प्लॉट क्रमांक: 527
प्लॉट क्षेत्रफल: 1.16 हे.मि.
प्लॉट मालक: श्री. वि. वि. वि.

PROJECT :-
PROPOSED GROUP HOUSING PLOT UNDER
CHIEF MINISTERS, JAN AWAS YOJANA-2015
KHASRA NO - 210 & 211 AT
VILLAGE - RAMSINGHPURA URUF RAMPURA,
TEH. - SANGANER, JAIPUR.

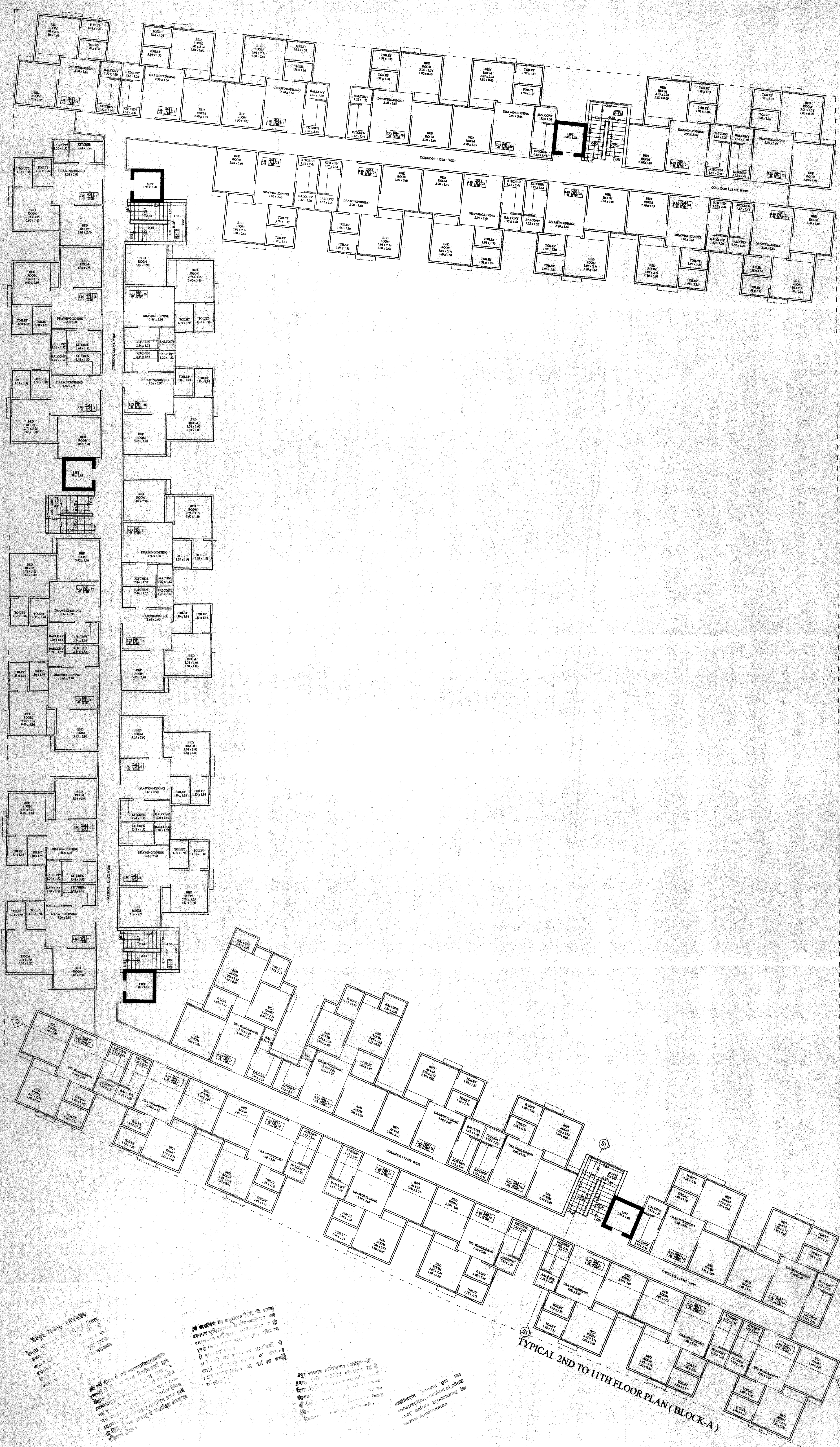
OWNER

ARCHITECT :-

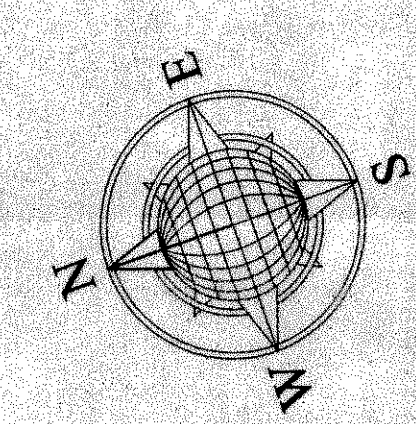
SHRI KRISHNAN
ARCHITECTS
SCALE = 1:100
C-48 VIDYA APARTMENT PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-0834610796, 0141-4005006 (O)
Email- info.spacegrid@gmail.com

527
02/11/2016

SHEET NO-04



TYPICAL 2ND TO 11TH FLOOR PLAN (BLOCK-A)

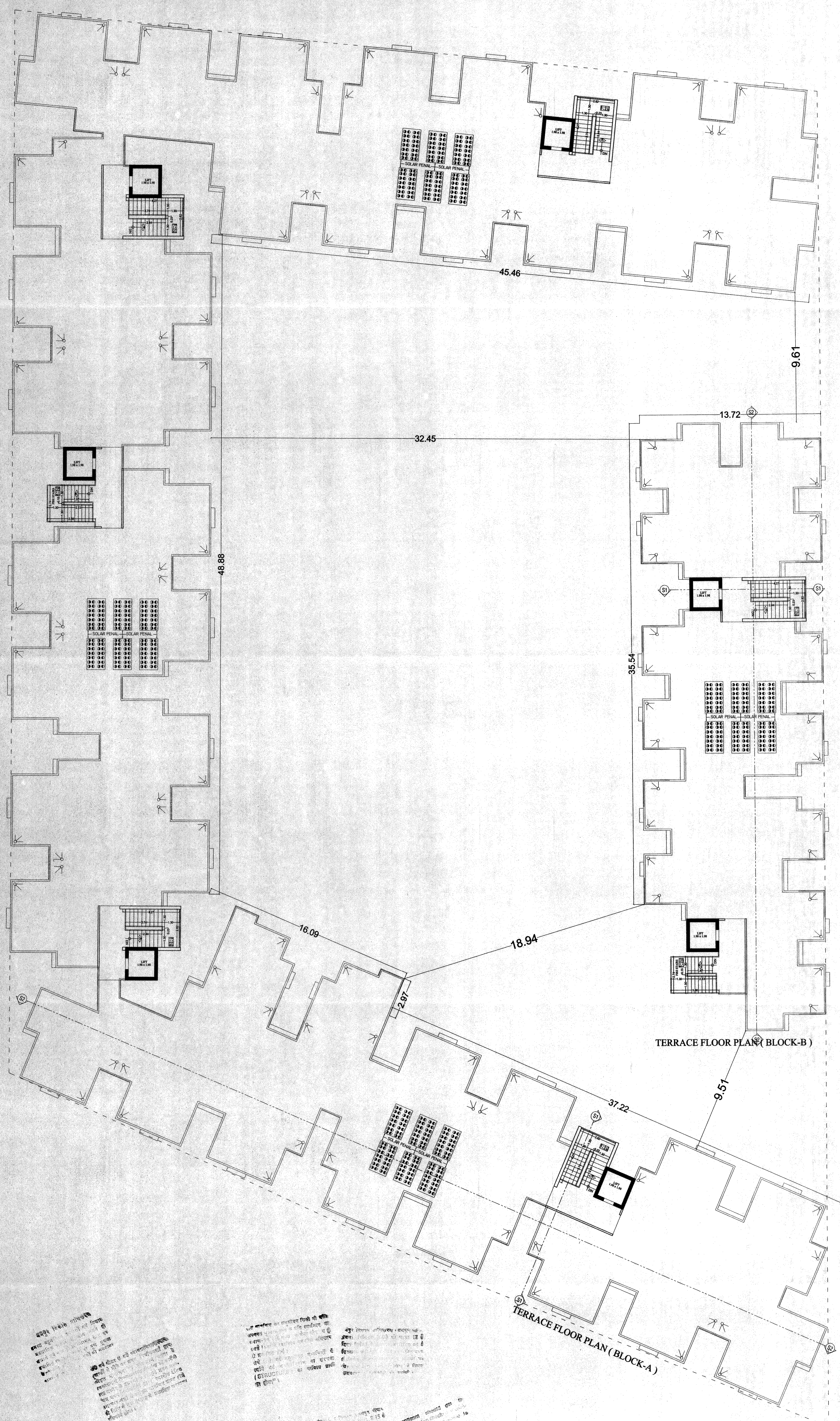


संकेतित स्थानों पर निर्माण कार्य करावयाचा आहे. यासाठी आवश्यक असलेली सर्व सुविधा उपलब्ध आहे. यासाठी आवश्यक असलेली सर्व सुविधा उपलब्ध आहे.

02/11/2016
अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा

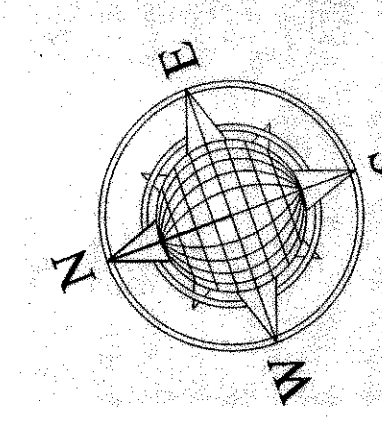
SHRI KRISHAN
ARCHITECT
SCALE = 1:100

PROJECT :- PROPOSED GROUP HOUSING PLOT UNDER CHIEF MINISTERS, JAN AWAS YOJANA-2015 KHASRA NO- 210 & 211 AT VILLAGE - RAMSINGHPURA URF RAMPURA, TEH. - SANGNER, JAIPUR.	OWNER ASIS Kumar	ARCHITECT :- SPACE GRID C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPLU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015. PH-09314918766, 0141-4005506 (O) Email- info.spacegrid@gmail.com
---	------------------------	--



TERRACE FLOOR PLAN (BLOCK-B)

(57) TERRACE FLOOR PLAN (BLOCK-A)



200
23/1/2018
567
22/1/2018

24/11/16
 वारेष्ठ नाम निराजक
 भवन मानोद्वेष्ट समिति
 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

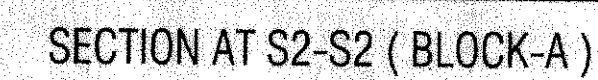
02/11/16
 अधिकारिक भूजा नगर निगमक
 भवन मानोद्वेष्ट समिति
 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

SHRI KRISHNAM SCALE - 1:100

PROJECT :-
PROPOSED GROUP HOUSING PLOT UNDER
CHIEF MINISTER'S. JAN AWAS YOJANA-2015
KHASRA NO - 210 & 211 AT
VILLAGE - RAMSINGHPURA URF RAMPURA,
TEH. - SANGANER, JAIPUR.

OWNER
Asics
1000000

ARCHITECT :  **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4035506 (U)
Email - info.spacegrid@gmail.com



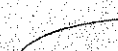
एक भाषाविद का अनुवाद किन्तो नो दत्ति
अनपन्न भूमि/अनपन्न के प्रति स्वप्रतिष्ठ का
हस्या-पक्ष नहीं माना, अतिपातित न ही
हमसे किन्तो का/का/परम संभवतः अधिकार
ही सम्पन्न होना है।
नाना किन्तो एकात्मिकता के अन्तर्गत ही
हमारे मध्य अन्तर्गत का संभवतः
(STRUCTURE) का संभवतः ही
नो होना है।

अनु: प्रमाण-पत्र
 प्रमाण: १०/०५/००
 दिनांक: १०/०५/००
 स्थान: १०/०५/००
 विषय: १०/०५/००
 १०/०५/००
 १०/०५/००
 १०/०५/००

apparent. At this point the
construction cracked at third
level before it needed to
further construction.

OWNER
As¹³⁴
104 mm

ARCHITECT :-  **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email- info.spacegrid@gmail.com



SHRI KRISHNAN
ARCHITECT
CA/99/25 SCALE = 1:100

[illegible][illegible]

बहु-विधायक प्रतिनिधित्व, राजस्थान
प्र. वि. वि. 2003 की धारा 13
के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व
के लिए नामित
के लिए नामित
के लिए नामित
के लिए नामित
के लिए नामित
के लिए नामित

15. The construction checked at para 15 is correct before proceeding with further construction.

SHRI KRISHNAN
ARCHITECT
CA/9865451
SCALE = 1:100

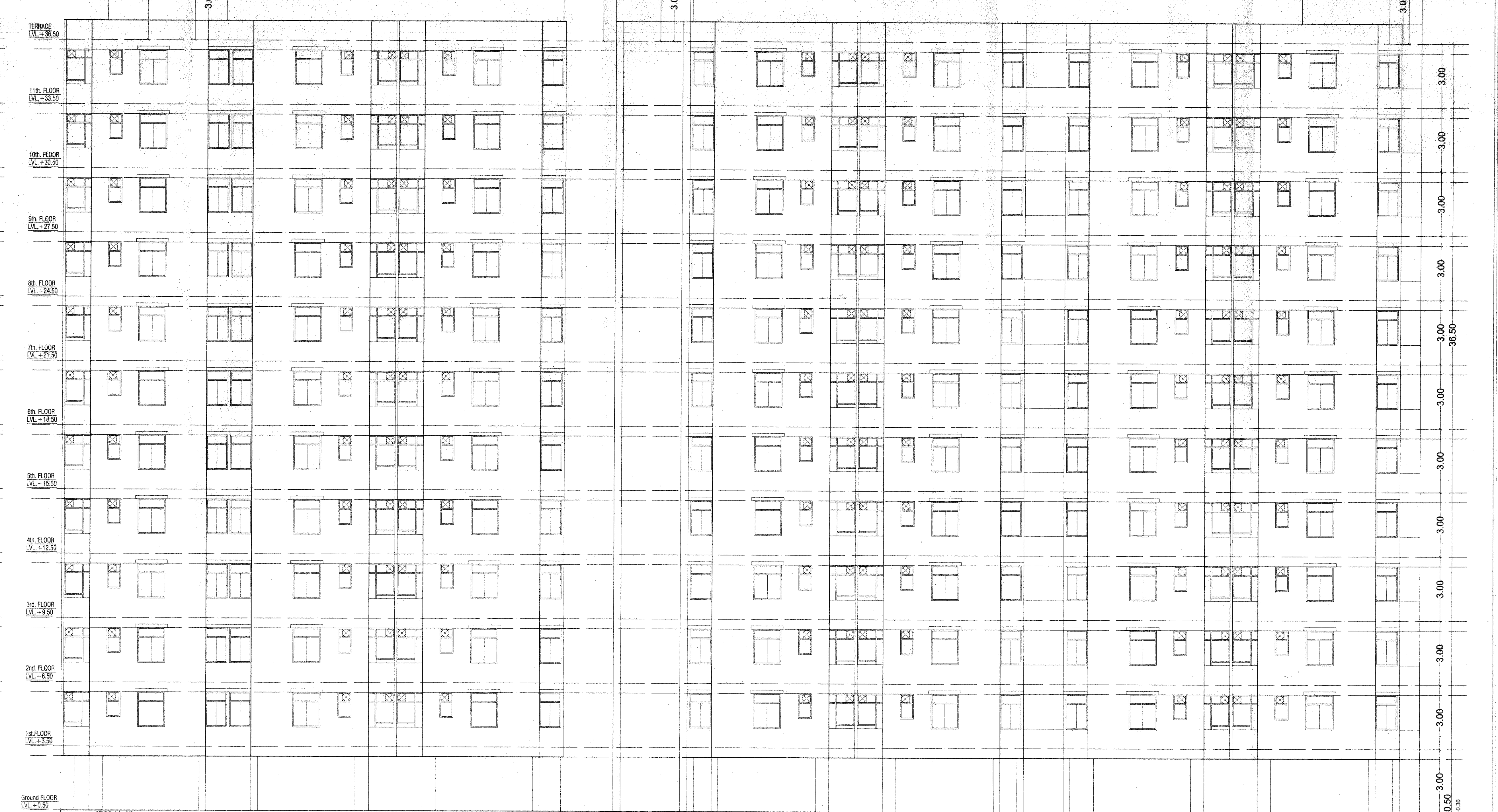
OWNER

Asst
Manager

ARCHITECT :-  **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:- info.spacegrid@gmail.com

[illegible][illegible][illegible]

applicant should get the construction checked at plumb level before proceeding with further construction.

[illegible]

20/01/2018
SHEET NO-08
6.00

प्रमुख अधिकारी

वारंछ नागरिक
भवन प्राप्ति
जयपुर विकास प्राधिकरण

कठिनाई मुख्य नगर निगम
भवन प्राप्ति संग्रहित
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

02/11/18

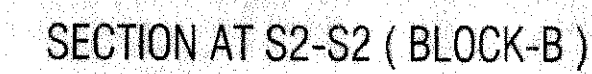
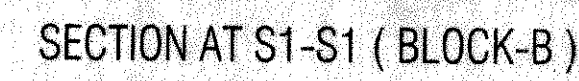
SHRI KRISHNAN
ARCHITECT
CA/99 SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED GROUP HOUSING PLOT UNDER
CHIEF MINISTER'S. JAN AWAS YOJANA-2015
KHASRA NO - 210 & 211 AT
VILLAGE - RAMSINGHPURA URF RAMPURA,
TEH. - SANGANER, JAIPUR.

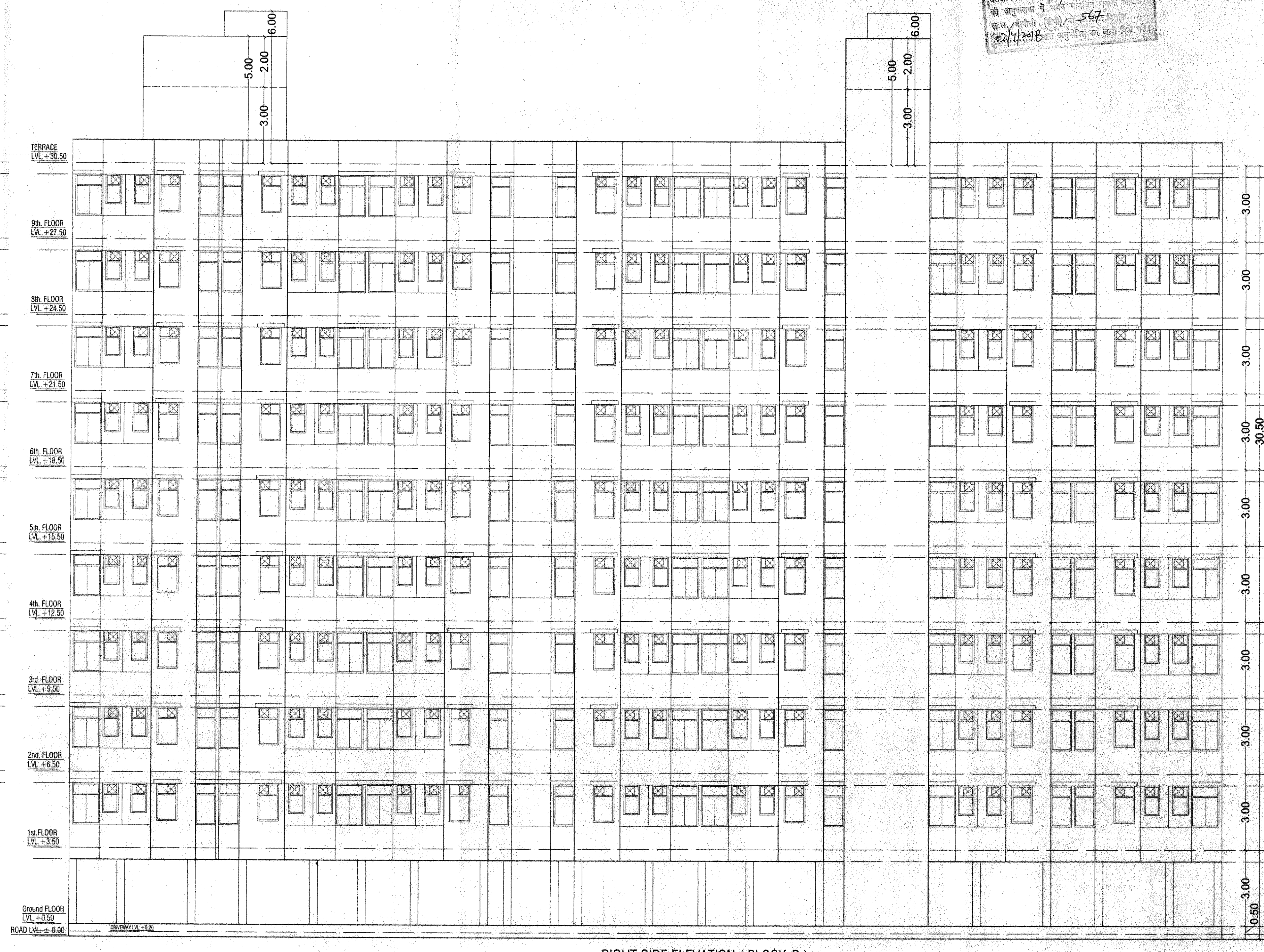
OWNER

As in
my name

ARCHITECT :-  **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com



SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com



RIGHT SIDE ELEVATION (BLOCK-B)

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE.
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacearid@gmail.com

[illegible]

STROU

[illegible]

approval should get the
construction checked at plumb
level before proceeding to
further construction

 24/10/20
 वरिष्ठ नगर निर्वाहक
 नवन मानचित्र समिति
 जयपुर विकास प्रधिकरण जयपुर

02/11/20
 अधिकारी नगर निर्वाहक
 नवन मानचित्र समिति
 जयपुर विकास प्रधिकरण जयपुर

SHRI KRISHAN ARCHITECT
CA/99/25451
SCALE = 1:100

SPACE GRID

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

PROJECT :-
PROPOSED GROUP HOUSING PLOT UNDER
CHIEF MINISTER'S JAN AWAS YOJANA-2015
KHASRA NO - 210 & 211 AT
VILLAGE - RAMSINGHPURA URF RAMPURA,
TEH. - SANGANER, JAIPUR.

OWNER

ARCHITECT :

CA/99/25451
 **SPACE GRID**
 C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
 BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE
 JAIPUR-302015
 PH-093149198766, 0141-4005506 (0)
 Email- info.spacegrid@gmail.com